रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2017/माघ 11, 1938
No. 36] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2017/MAGHA 11, 1938

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2017

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017

आईबीबीआई/2016-17/जी.एन./आरईजी 008.—दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 197 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय-I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) इन विनियमों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम इनके राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) “सलाहकार समिति” से इन विनियमों के साथ पठित इस संहिता की धारा 197 के अधीन बोर्ड के आदेश से गठित सलाहकार समिति से है;

(ख) “बोर्ड” से इस संहिता की धारा 188(1) के अधीन स्थापित भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड है;

(ग) “अध्यक्ष” से सलाहकार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "संहिता" से दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से सलाहकार समिति का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष शामिल है;

(च) "सचिव" से बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामित बोर्ड का अधिकारी अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त परंतु परिभाषित न किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों जिन्हें इस संहिता में परिभाषित किया गया है, के क्रमश: वही आशय होंगे जो उन्हें इस संहिता में दिए गए हैं।

अध्याय-II

सलाहकार समिति का गठन

3. सलाहकार समिति का गठन

(1) यह बोर्ड अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करने के लिए आदेश द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन करेगा।

(2) यह बोर्ड निम्नलिखित समितियों का गठन करेगा:

(क) सेवा प्रदाताओं संबंधी सलाहकार समिति;

(ख) कारपोरेट दिवाला और परिसमापन संबंधी सलाहकार समिति;

(ग) व्यक्ति दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी सलाहकार समिति; और

(घ) ऐसी अन्य कोई विषय संबंधी सलाहकार समिति जैसा कि बोर्ड समय-समय पर आवश्यक समझे।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन प्रत्येक आदेश में सलाहकार समिति का गठन और इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यापक मुद्दे दिए जाएंगे।

(4) सलाहकार समिति अपनी क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले किसी मुद्दे पर स्वयं और बोर्ड द्वारा अनुरोध करने पर अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी मुद्दे पर बोर्ड को परामर्श और व्यावसायिक सहायता देगी।

4. सलाहकार समिति का संयोजन

(1) सलाहकार समिति का संयोजन इस प्रकार होगा:

(क) व्यावसायिक सदस्य जो संबंधित क्षेत्र में विख्यात शिक्षाविद् या व्यवसायी हैं, और

(ख) सामान्य सदस्य जो प्रख्यात नागरिक हैं जिनका उस क्षेत्र में सीधी सहभागिता या हित नहीं है:

परंतु कि व्यावसायिक सदस्यों और सामान्य सदस्यों का अनुपात मोटे तौर पर 2:1 होगा।

(2) कोई व्यक्ति एक समय में एक से अधिक सलाहकार समिति का सदस्य नहीं होगा।

(3) किसी सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा:

परंतु कि कोई व्यक्ति उसी या किसी अन्य सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) यह बोर्ड नामित करेगा:

(क) सलाहकार समिति के साधारण सदस्यों में से किसी एक को इसका अध्यक्ष; और

(ख) अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को सलाहकार समिति का सचिव और ऐसे सचिव को सलाहकार समिति की बैठकों में किसी मुद्दे पर बोलने का अधिकार तो होगा किंतु वह मतदान नहीं करेगा।

अध्याय-III

बैठकें

बैठकें

5. (1) सलाहकार समिति की बैठक उतनी बार और ऐसे स्थानों पर की जाएगी जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(2) सलाहकार समिति की वर्तमान संख्या का पचास प्रतिशत इसकी बैठकों के लिए कोरम बनाएगा।

(3) सलाहकार समिति का सचिव समिति की बैठकों का आयोजन करेगा और बैठकों के रिकार्ड रखेगा।

(4) सलाहकार समिति का अध्यक्ष बैठकों की कार्यसूची निर्धारित करेगा और समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

फीस

6. (1) समिति का सदस्य समिति की प्रत्येक बैठक के लिए दस हजार रुपए की सिटिंग फीस प्राप्त करने का पात्र होगा।

(2) समिति का प्रत्येक सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के सचिव की पात्रता के समकक्ष यात्रा और आवास पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा।

आचरण

7. (1) सलाहकार समिति का कोई भी सदस्य समिति के द्वारा विचार किए गए या विचाराधीन मुद्दों पर प्रेस या किसी अन्य पब्लिक मीडिया को सूचना नहीं देगा।

(2) कोई सदस्य जिसका समिति की किसी बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी मुद्दे में प्रत्यक्ष या अप्रत्येक्ष हित है, तो वह अपने हित की प्रकृति उस बैठक में प्रकट करेगा।

(3) कोई सदस्य ऐसे कार्य के संबंध में समिति द्वारा मांगी गई व्यावसायिक सलाह को छोड़कर समिति के किसी विचार-विमर्श या चर्चा में भाग नहीं लेगा।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./402/16]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2017

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Advisory Committee) Regulations, 2017

IBBI/2016-17/GN/REG008.—In exercise of the powers conferred by section 197 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations, namely:—

Chapter I

Preliminary

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India (Advisory Committee) Regulations, 2017.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires:—

a) "Advisory Committee" means an Advisory Committee constituted by an order of the Board under section 197 of the Code read with these regulations;

b) "Board" means the Insolvency and Bankruptcy Board of India established under section 188(1) of the Code;

c) "Chairperson" means the Chairperson of the Advisory Committee;

d) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

e) "Member" means a Member of the Advisory Committee and includes Chairperson;

f) "Secretary" means an officer of the Board designated as such by the Board;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

Chapter II

Constitution of Advisory Committee

3. Constitution of Advisory Committee.

(1) The Board may, by an order, constitute an Advisory Committee to obtain expert advice on issues relevant for the efficient discharge of its functions.

(2) The Board may constitute the following committees:-

a) Advisory Committee on Service Providers;

b) Advisory Committee on Corporate Insolvency and Liquidation;

c) Advisory Committee on Individual Insolvency and Bankruptcy, and

d) Any other subject specific Advisory Committee as the Board may consider expedient from time to time.

(3) Every order under sub-regulation (1) shall provide for composition of the Advisory Committee and the broad issues under its purview.

(4) An Advisory Committee may advise the Board on any issue under its purview on its own and shall advise and provide professional support on any issue under its purview on a request from the Board.

4. Composition of Advisory Committee.

(1) An Advisory Committee shall comprise of:-

a) Professional Members, who are eminent academicians or practitioners in the relevant area, and

b) General Members, who are eminent citizens not having direct involvement or interest in the area:

Provided that Professional Members and General Members shall roughly be in the ratio of 2:1.

(2) No person shall be a Member of more than one Advisory Committee at any point of time.

(3) The term of a Member shall not exceed three years:

Provided that a person shall be eligible for reappointment as Member of the same or another Advisory Committee.

(4) The Board shall designate:

a) one of the General Members of the Advisory Committee as its Chairperson; and

b) one of its senior Officers as Secretary to the Advisory Committee and such Secretary shall have right to speak, but not vote on any issue in the meetings of the Advisory Committee.

Chapter III

Meetings

5. Meetings.

(1) An Advisory Committee shall meet at such times and places as it considers expedient.

(2) Fifty percent of the existing strength of the Advisory Committee shall constitute quorum for its meetings.

(3) Secretary to the Advisory Committee shall convene meetings of the Committee and maintain records of meetings.

(4) Chairperson of the Advisory Committee shall decide the agenda for the meetings and preside over the meetings of the Committee.

6. Fee.

(1) A Member of the Committee shall be entitled to a sitting fee of Rs.10,000 for a meeting of the Committee.

(2) A Member of the Committee shall be entitled to reimbursement of expenses on his travel and accommodation for attending the meetings of the Committee at par with the entitlement of Secretary to Government of India.

7. Conduct.

(1) No member of the Advisory Committee shall communicate to the Press or to any other public media on issues that have been considered or are under consideration of the Committee.

(2) A Member, who is directly or indirectly interested in any issue coming up for consideration at a meeting of the Committee, shall disclose the nature of his interest at such meeting.

(3) A Member shall not take part in any deliberation or discussion of the Committee with respect to such business except to the extent of professional advice if sought by the Committee.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./402/16]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.02 23:24:53 +05'30'